	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	
	प्रशिक्षण अनुभाग	आई.एस / आई.एस ओ खण्ड संख्या.7.1
संदर्भः क्यु.एम.एसः ई.ए.सी. क्यु.पी-07-1 पृष्ठ संख्या 1 का 1	**विषय** : समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जानेवाले अभ्यर्थी के चयन के अनुसार समुद्र-पूर्व प्रशिक्षार्थियों को सीडीसी का वितरण	फाइल संख्या टीआर /एम आई एस/9(2)/2014
नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित	**2014 के प्रशिक्षण परिपत्र सं0 1**	दिनांक 07 मार्च, 2014

1. नौवहन महानिदेशालय ने 2013 के दिनांक 04.12.2013 के नौवहन महानिदेशालय आदेश सं0 24 के अनुसार नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक दोनों) को पूरा करनेवाले इच्छुक समुद्रकर्मियों हेतु सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र सह समुद्रकर्मियों के पहचान प्रलेख को जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया था।

2. उक्त आदेश के अनुसार, शिपिंग मास्टर, मुंबई, कोलकाता या चैन्नई से सी डी सी की प्राप्ति के चयन का प्रयोग समुद्र-पूर्व प्रशिक्षार्थी द्वारा किया जाएगा। तद्-नुसार, समुद्र-पूर्व समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जिनसे प्रशिक्षार्थी अपना सी डी सी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके द्वारा नौवहन कार्यालय के लिए प्रशिक्षार्थियों के चयन/वरीयता को प्राप्त करना अपेक्षित है। इसके लिए समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षार्थियों को यह सूचित करने की आशा की जाती है कि कोलकाता, मुंबई तथा चैन्नई स्थित तीनों नौवहन कार्यालयों के बीच एक बार किया गया चयन भविष्य में उनके समुद्रीय करियर के दौरान सी डी सी से संबंधित सभी मामलों जैसे नवीकरण प्रतिलिपि, सुधार इत्यादि पर अंतिम एवं बाध्य होगा।

3. अतः समुद्र-पूर्व समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को एतद्-द्वारा सलाह दी जाती है कि संबंधित शिपिंग मास्टर के पास सी डी सी आवेदन भेजने से पहले दिनांक 04.12.2013 के वर्ष 2013 के नौवहन महानिदेशालय आदेश सं0 24 के पैरा 3.3.2 का अनुपालन करें। उदाहरण के लिए, जी पी रेटिंग पाठ्यक्रम के 40 समुद्र-पूर्व प्रशिक्षार्थीयों में से, 10 अभ्यर्थी कोलकाता नौवहन कार्यालय का चयन कर रहा है, तो उक्त 10 समुद्र-पूर्व प्रशिक्षार्थीयों के आवेदन को शिपिंग मास्टर, कोलकाता में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

4. सभी समुद्र-पूर्व समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को यह सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 4.12.2013 के 2013 के नौवहन महानिदेशालय आदेश सं0 का पूरी तरह से पालन करेंगे विशेष रूप से उक्त आदेश के पैरा 3.3.2 का ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अभ्यर्थियों को दी गई छूट का सही परिप्रेक्ष्य में पालन हो।

5. यह सभी संबंधितों की सूचना एवं अनुपालन के लिए तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है।

6. यह वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रकर्मियों हेतु प्रशिक्षण, प्रमाणन तथा निगरानी के मानदंड) नियम,1998 के नियम 47 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आश मोहम्मद)
सहायक नौवहन महानिदेशक (प्रशिक्षण)

प्रती: 1) सभी मान्यता प्राप्त समुद्री प्रशिक्षण संस्थान 2) मुख्य कार्यालय समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, कोची 3) शिपिंग मास्टर, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई 4) इन्डोसेल कक्ष नवभवन मुंबई 5) मुख्य सर्वेक्षक, "भारत सरकार" 6) नॉटिकल सलाहकार, "भारत सरकार" 7) क्रू अनुभाग 8) कम्प्यूटर कक्ष 9) गार्ड फाइल 10) नौवहन महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचि